



पत्रांक :19M(04)C(19-20)- 89

दिनांक : 29/02/2020.

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा
 झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह/ देवघर वन प्रमण्डल, देवघर/ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग/ कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा/ गुमला वन प्रमण्डन, गुमला/ राँची वन प्रमण्डल, राँची/ सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा।

विषय :—

झारखण्ड कैम्पा वार्षिक कार्य योजना 2019–20 अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली “एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना” के अंतर्गत कुल 876.463 लाख (आठ करोड़ छियतर लाख छियालिस हजार तीन सौ रुपये) मात्र का ऑनलाईन उप-आवंटन (Online Sub- Allotment)।

प्रसंग:-

- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 49 दिनांक 24.10.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 99/आ० दिनांक 25.10.2019 व विभागीय आवंटन आदेश संख्या 104/आ० दिनांक 25.02.2020
- इस कार्यालय का पत्रांक 453 दिनांक 16.08.2019, पत्रांक 535 दिनांक 21.10.2019, पत्रांक 543 दिनांक 26.10.2019 एवं पत्रांक 41 दिनांक 01.02.2020

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 04-वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास, लघु शीर्ष -103- राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण, उप शीर्ष- 04-एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना” के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभिन्न कार्यों हेतु अनुमान्य देय राशि उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल 876.463 लाख (आठ करोड़ छियतर लाख छियालिस हजार तीन सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240604103040103	343.763
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240604103040323	532.699
कुल :-		876.463

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने अधीनरथ कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी एवं इस कार्यालय को समर्पित करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार परियोजना की विवरणी अनुलग्नक-2 एवं ऑनलाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. भारत सरकार के पत्रांक 11-100/2015-FC(Vol.III) दिनांक 05.04.2019, पत्रांक 11-100/2015-FC(Vol.III) दिनांक 26.06.2019 एवं पत्रांक 4-64/2018-NA दिनांक 01.10.2019 द्वारा प्रदत्त निदेशानुसार पूर्व से संचालित वृक्षारोपण योजनाओं की माह अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020

तक के समयबद्ध संपोषण कार्यों की अनुमान्य देय राशि वन प्रमण्डल पदाधिकारी राँची वन प्रमण्डल के पक्ष में राज्य कैम्पा बैंक खाते के पास उपलब्ध राशि से तथा सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित आंशिक राशि से इस कार्यालय के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा पूर्व में उप-आवंटित की जा चुकी है।

4. इस योजना के उपरोक्त कोड संख्या को कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किये जायेंगे।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

6. योजना का कार्यान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची से सम्बन्धित स्वीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर ही प्रारम्भ किया जायेगा।

7. योजना का कार्यान्वयन रथल विशेष स्वीकृत प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जाएगा। संबंधित सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपने अधीनस्थ वन प्रमण्डलों के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने की सूचना प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड एवं इस कार्यालय को दी जायेगी। संबंधित नियंत्री पदाधिकारी यह लगातार समीक्षा कर सुनिश्चित करेंगे कि राशि की निकासी एवं व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर एतद संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

9. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजनाओं का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पांच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं हो तथा निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हो।

13. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही

हो। साथ ही, सामग्री की राशि का भुगतान विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार या GeM या निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।

16. किसी भी तरह का भुगतान सिर्फ बैंक खाता में ट्रान्सफर के माध्यम से ही किया जाएगा। नगद रूप से राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी कि किसी ऐसी योजना जिसके विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, अगर किसी दूसरे श्रोत से भी राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, वैसी स्थिति में इसकी राशि की निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना नियंत्री पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

18. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली-2018 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रमण्डलीय मासिक लेखा एवं वर्गीकृत मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

20. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापांक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

21. कैम्पा के तहत संचालित योजनाओं की वॉचिट सूचनाओं (यथालागू तकनीकी स्वीकृति से संबंधित सूचनाएं और Geo-cordinated Point & Polygon, जो भी लागू हो, सहित) को e-green watch portal पर अपलोड किया जायेगा।

22. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियमावली, 2018 में निहित निम्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 330 दिनांक 29.08.2018 एवं पत्रांक 503 दिनांक 24.09.2019 द्वारा भेजी गयी है-

- (a) NPV & Penal NPV में संदर्भित कार्य, यदि वनभूमि पर किये जाते हैं तो वे कार्य नियोजना (Working Plan) के अनुसार किये जायेंगे।
- (b) परंतु यह कि वे कार्य, जो कार्य नियोजना के अनुसार ग्राम सभा अथवा ग्राम वन समिति के परामर्श से सम्पादित किये जायेंगे तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों और इसके तहत जारी दिशा-निर्देशों, जहाँ कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

29.02.2020

(c) परंतु यह कि वे कार्य, जो अनुमोदित कार्य नियेजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं, यथालागू ग्राम सभा अथवा ग्राम वन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से सम्पादित कराये जायेंगे तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों और उसके अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों, जहाँ कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा
झारखण्ड, राँची
29/02/2020

ज्ञापांक— 19M(04)C(19-20)- 89 दिनांक— 29/02/2020 .

प्रतिलिपि:— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो / दुमका / हजारीबाग / राँची / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह / देवधर / हजारीबाग / गुमला / राँची / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा
झारखण्ड, राँची
29/02/2020

ज्ञापांक— 19M(04)C(19-20)- 89 दिनांक— 29/02/2020 .

प्रतिलिपि:— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह / देवधर / हजारीबाग / कोडरमा / गुमला / डोरण्डा, राँची / सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा
झारखण्ड, राँची
29/02/2020

झारखण्ड कैम्पा

वार्षिक कार्य योजना 2019–20 उपशीर्ष “04—एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना”

(मजदूरी दर : रु0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि रु0 लाख में)

क्रम संख्या	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	वित्तीय लक्ष्य		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
1	2	3	4	5
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	9.47500	14.21200	23.68700
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	156.93800	235.40400	392.34200
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	30.01910	45.02890	75.04800
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	19.98060	29.97140	49.95200
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	60.00000	90.00000	150.00000
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	18.14680	27.21920	45.36600
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची	1.13210	18.75790	19.89000
8	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	48.07140	72.10660	120.17800
	सकल योग	343.76300	532.70000	876.46300

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

29/02/2020
29/02



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं

पत्र संख्या - 19M(04)C(19-20)/89

दिनांक -

29-Feb-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240604103040103	90622	GRDFOR003 MS. MAMTA PRIYDARSHI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	947,500.00 रुपये नौ लाख सौतालीस हजार पौंच सौ
2	S 19 240604103040103	90623	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	15,693,800.00 रुपये एक करोड छप्पन लाख तिरनवे हजार आठ सौ
3	S 19 240604103040103	90627	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	3,001,910.00 रुपये तीस लाख एक हजार नौ सौ दस
योग:				19,643,210.00
क्रमिक योग:				

रुपये एक करोड छप्पनवे लाख तीरयालीस हजार दो सौ /क्रस

(SANJAY SRIVASTAVA)

29.02.2020

ADDI.PCCF.CAMPA JHARKHAND


472076 Addl. PCCF. CAMPA
RANCH
Jharkhand, Ranchi

Run Date: 29/2/2020


क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240604103040103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 04 - एकीकृत वन्यजीव प्रवंधन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	90630	HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	1,998,060.00 रुपये उन्नीस लाख अठानवे हजार साहस्र
5	S 19 240604103040103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 04 - एकीकृत वन्यजीव प्रवंधन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	90631	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	6,000,000.00 रुपये साहठ लाख
6	S 19 240604103040103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 04 - एकीकृत वन्यजीव प्रवंधन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	90632	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	1,814,680.00 रुपये अठारह लाख चौदह हजार छ: सौ अस्सी
योग: 9,812,740.00				
क्रमिक योग: 29,455,950.00				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240604103040103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 04 - एकीकृत बन्यजीव प्रबंधन योजना 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769) Central Scheme : NA	90633	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	113,210.00 रुपये एक लाख तेरह हजार दो सौ ढस
8	S 19 240604103040103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 04 - एकीकृत बन्यजीव प्रबंधन योजना 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769) Central Scheme : NA	90634	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	4,807,140.00 रुपये अडलालीस लाख सात हजार एक सौ चालीस
9	S 19 240604103040323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 04 - एकीकृत बन्यजीव प्रबंधन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769) Central Scheme : NA	90635	GRDFOR003 MS. MAMTA PRIYDARSHI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	1,421,200.00 रुपये चौदह लाख इक्कीस हजार दो सौ
योग: 6,341,550.00				
क्रमिक योग: 35,797,500.00				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240604103040323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 04 - एकीकृत बन्यजीव प्रबंधन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	90637	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	23,540,400.00 रुपये दो करोड़ पैसों से लाख चालीस हजार चार सौ
11	S 19 240604103040323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 04 - एकीकृत बन्यजीव प्रबंधन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	90639	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	4,502,890.00 रुपये पैतालीस लाख दो हजार आठ सौ नव्वे
12	S 19 240604103040323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 04 - एकीकृत बन्यजीव प्रबंधन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	90640	HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	2,997,140.00 रुपये उन्तीस लाख सितानवे हजार एक सौ चालीस
योग: 31,040,430.00				
क्रमिक योग: 66,837,930.00				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240604103040323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 04 - एकीकृत वन्यजीव प्रवंधन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	90641	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	9,000,000.00 रुपये नब्बे लाख
14	S 19 240604103040323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 04 - एकीकृत वन्यजीव प्रवंधन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	90642	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	2,721,920.00 रुपये सत्ताइस लाख इक्कीस हजार नौ सौ बीस
15	S 19 240604103040323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 04 - एकीकृत वन्यजीव प्रवंधन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	90643	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	1,875,790.00 रुपये अठारह लाख पचहत्तर हजार सत्र सौ नब्बे
योग:				
क्रमिक योग:				
रुपये आठ करोड़ चार लाख पैंतीस हजार छ: सौ चालास				
 (SANJAY SRIVASTAVA) 29.02.2020				
ADDI.PCCF.CAMPA JHARKHAND				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240604103040323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769) Central Scheme : NA	90644	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	7,210,660.00 रुपये छहत्तर लाख दस हजार छ: सौ साढ़ह



7,210,660.00

87,646,300.00

योगः

रुपये आठ करोड छहत्तर लाख छयालीस हजार तीन सौ

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDI.PCCF.CAMPA JHARKHAND